संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,छ.ग,

(अध्याय–1)

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है।

1. **परिवार कल्याण एवं मातृशिशु कल्याण कार्यक्रम :–** परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को नियोजित कर जनसंख्या का स्थिरीकरण किया जाना है ।इसमें वर्ष 2010 तक प्रदेश मे जन्मदर का स्तर 21 प्रतिहजार जनसंख्या जोकि वर्तमान में 26.9 प्रतिहजार है, तथा शिशु मृत्युदर जोकि वर्तमान में 61 प्रतिहजार जीवित जन्म है, उसे 30 प्रतिहजार जीवित जन्म तक लाए जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है, साथ ही सकल प्रजनन दर में अपेक्षा कृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है । गर्भ निरोधक साधनों के स्थायी व अस्थायी माध्यमों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लानी है । वर्ष 2006–07 में यह दर राज्य स्तरीय आंकलन के अनुरूप 62.12 रही जिसमें स्थायी गर्भनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 41. 52 प्रतिशत रही ।

2. **संक्रामक रोगों की रोकथाम :–** भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में दस्त रोग, पीलिया तथा मस्तिस्क ज्वर जैसे संक्रामक रोगों की घटनाऍं हमेशा से होती रही है । महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर काम्बेट टीम का गठन कर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए है, परिणाम स्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुयी है ।

3. **सिकल सेल विकृति नियंत्रण कार्यक्रम :–** छत्तीसगढ़ में सिकल सेल विकृतियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के उददेश्य से वर्ष 2004–05 से सिकल सेल विकृति नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सिकल सेल साल्युबिलिटी जॉच की व्यवस्था तथा प्रत्येक जिला चिकित्सालय पर सिकल सेल इलैक्ट्रोफोरसिस जॉच की व्यवस्था किया गया है । समस्त चिकित्सालयों में सप्ताह में एक बार विशेष सिकल क्लिनिक का आयोजन कर समस्त पीड़ितों को उपचार पुर्नवास एवं परामर्श सेवायें प्रदान किया जाता है ।

4. **एकीकृत रोग निगरानी परियोजना :–** एकीकृत रोग निगरानी परियोजना प्रदेश का एक विकेन्द्रीत जिला आधारित निगरानी परियोजना है । इसका उद्देश्य आसन्न प्रकोपों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाना तथा समय पर प्रभावी कार्यवाही करने में सहायता करना है । मौजूदा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए आवश्यक आंकडे इससे उपलब्ध होगें बहुमूल्य स्वास्थ्य संसाधनों का और अधिक दक्ष रूप से समुचित उपयोग करने में मदद मिलेगी। प्रकोपों के खतरों को कम करने तथा प्रकोप घटित होने पर उसके पैमाने को न्यूनतम करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य ढ़ाचे तथा सेवाप्रदायगी के भीतर एहतियाती सुरक्षा उपाय किए जा सकते है ।

5. **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम –**

(1)मलेरिया :– छत्तीसगढ़ राज्य में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है । इसके अंतर्गत बुखार से पीडित व्यक्तियों की रक्त पट्टी बनाकर उन्हे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है । रक्त पट्टी का परीक्षण भी शीघ्र करके मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को मौलिक उपचार समयावधि में दिया जाता है, जिससे कि समुदाय में मलेरिया फेलने से रोका जा सके, सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल के अंतर्गत कीटनाशक दवा का छिड़काव राज्य के 13 जिलों में डी.डी.टी. एवं कांकेर दंतेवाड़ा तथा जगदलपुर में सिथेंटिक पाइरेथ्राईड का छिड़काव किया जाता है, जैविक नियंत्रण के अंतर्गत लार्वाभक्षी गंबूजिया मछली का पालन एवं वितरण किया जाता है, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में केन्द्र शासन से प्राप्त मच्छरदानियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है ।

(2) फाईलेरिया :– राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया के अलावा फाईलेरिया के रोकथाम की भी योजना है इसके लक्षण मच्छर के काटने के कई महीने के बाद प्रकट होते है । इस रोग के मच्छर मलेरिया बुखार के मच्छरो से भिन्न होते है । यह मच्छर गंदे पानी में पैदा होते है और पनपते है, अतः इस बीमारी की रोकथाम के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गंदे पानी को जमा न होने दिया जाए और जहॉ–जहॉ इन मच्छरों के लार्वा पनप रहे हो वहॉ लार्वा नाशक दवा आदि डाल कर उनको नष्ट कर

दिया जाये । यदि हाथी पाव के मच्छरों को पनपने नही दिया जायेगा तो यह बीमारी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को नही होगी ।

6. **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम :–** इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य है समाज में छिपे हुए सभी रोगियों को खोज कर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण रूप से दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाय ताकि रोग का प्रसार रूक जाये समाज में व्याप्त अवैज्ञानिक मान्यताओं तथा अंध विश्वासों के फलस्वरूप कुष्ठ रोग को छुपाया जाता है जिससे इस रोग की स्थिति और कठिन हो जाती है । छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राज्य का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 था जोकि दिसंबर 07 में 2.24 प्रति दस हजार है ।

7. **पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :–** राज्य में पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से लागू किया गया है । राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में भारत शासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन से चलाया जाता है । इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य खंखार जॉच में पाये गए धनात्मक रोगियों में उच्च निरोगता दर प्राप्त करना है उच्च निरोगता दर का लक्ष्य कम से कम 85 प्रतिशत रखा गया है । आर.एन.टी.सी.पी. के अंतर्गत मरीजों के निरीक्षण दवाई व उपकरण आदि सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है । प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या (आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रों में 2.5 लाख जनसंख्या) पर एक छय नियंत्रण स्थापित की गयी है । इसी तरह प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या (आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 0.5 लाख जनसंख्या) पर एक माइक्रोस्कोपी सेंटर व प्रत्येक जिलों मे एक–एक जिला क्षय केन्द्र स्थापित किए गए है ।

8. **राष्ट्रीय दृष्ट्रिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–** इस कार्यक्रम का मूल उद्‌देश्य दृष्ट्रिहीनता_ता की दर को 2.1 प्रतिशत को कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना है। सन 1994 से विश्वबैक की सहायता से मोतियाबिंद अंधत्व निवारण परियोजना शुरू की गयी इस परियोजना की अवधि 7 वर्षो की थी विश्वबैक के द्वारा 1 वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी विश्वबैक परियोजना के मापदण्डों के अनुसार ही प्रदेश में नेत्र रोग चिकित्सा हेतु उपलब्ध वार्डो की संख्या में पर्याप्त वृद्वि की गयी है ताकि भविष्य में नेत्र शिविर की आवश्यकता ही न पडे एवं इन संस्थाओं में वर्ष भर लगातार मोतियाबिंद के आपरेशन हो एवं अन्य प्रकार के नेत्र रोग चिकित्सा जन सामान्य को उपलब्ध हो सके । जिसमें अस्पतालों में उपलब्ध 140 नेत्र बिस्तरों को बढ़ाकर 470 की गयी 20 बिस्तर के नौ वार्ड

एवं 10 बिस्तर के तेरह वार्ड तथा 23 आपरेशन कक्ष का निर्माण किया गया सभी वार्ड एवं आपरेशन कक्ष को कियाशील बनाया गया ।

9. **<u>मुख्यमंत्री दवा पेटी :-</u>** मुख्यमंत्री दवापेटी के अंतर्गत राज्य में सेवा देने वाले लगभग 60000 मितानिनों को नियमित अंतराल में मुख्यमंत्री दवा पेटी किट के माध्यम से अनवरत दवाओं की पूर्ति की जाती है ।

10. **<u>स्वास्थ्य मितानिन योजना –</u>** छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन कार्यकम राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व बना चुका है,इसके अंतर्गत गॉव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना एवं रोगिया को स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में लगभग 60 हजार मितानिने अपनी सेवायें दे रही है ।

11. **<u>स्वस्थ्य पंचायत योजना '–</u>** राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहत्तर बनाने के लिए स्वस्थ्य पंचायत योजना प्रारंभ की गयी है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकमों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को मापदण्डों पर चयन कर पुरूस्कार प्रदान किया जाता है । जिससे अन्य ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होकर अपने ग्राम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकमों के प्रति समर्पित होकर पंचायत क्षेत्र को स्वस्थ्य बनाने में जागरूक व कियाशील रहे ।

12. **<u>छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता कोष (संजीवनी) :-</u>** राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता कोष (संजीवनी कोष) का गठन किया गया है जिसमें शासकीय चिकित्सालयों के अलावा अन्यत्र चिकित्सा पर होने वाले भारी व्यय के लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान है ।

13. **<u>राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यकम :-</u>** छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.व्ही. / एड्स के नियंत्रण के लिए राज्य एड्स सोसायटी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है इसके अंतर्गत राज्य के सभी 16 जिलों एवं 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 52 आई.सी.टी.सी.(समेकित परामर्श एवं जॉच केन्द्र स्थापित किए गए है तथा राज्य के सभी 16 जिलों में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 33 एस.टी.डी. क्लिनीक स्थापित किए गए है । प्रदेश में 13 ब्लड बैक की स्थापना की गयी है । जिसमें स्टैट आफ आर्ट मार्डन ब्लड बैक रायपुर मेडिकल कालेज मे की गयी है जिसमें ब्लड कंपोनेट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है ।

संचालक

स्वास्थ्य सेवाये, छ.ग.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

क्रमॉक / वित्त / परफा.बजट / 2008 / रायपुर ,दिनांक / 2008

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,रायपुर

विषय :— वर्ष 2007—08 के फरफार्मेन्स बजट के संबंध में ।

संदर्भ :— आपका पत्र क्र.4772 / 3238 / 08 / नौ / 17 / रायपुर दिनांक 03 / 06 / 2008 वित्त विभाग का पत्र क्र. / 463 / 2008 / ब—1 / चार / रायपुर दिनांक 06 जून 2008।

उपरोक्त संदर्भित विषय में लेख है आपके द्वारा चाही गयी परफार्मेन्स बजट वित्तीय वर्ष 2007—08 की जानकारी बिन्दुवार एवं प्रेषित प्रारूप में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

संलग्न :— **(अध्याय —1,2,3,4)**

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,छ.ग.

पृ. / क्रमॉक / वित्त / परफा.बजट / 2008 / रायपुर,दिनांक / 2008

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय,रायपुर।

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,छ.ग.